भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2599

दिनांक 19.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2599. श्री डी॰ कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विभिन्न राज्यों में इन कार्यक्रमों के तहत पेयजल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी राज्य–वार कारण क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा देश में एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अद्यतन कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस.एस. अहलूवालिया)

(क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कवरेज के लिए राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीम को अनुमोदित किए जाने के बाद राज्य, उक्त स्कीम की योजना, डिजाइन बनाने और कार्यान्वयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के कवरेज के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 7050 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इस राशि में से, दिनांक 15.03.2018 तक राज्यों को 6703.72 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा इस मंत्रालय के ऑनलाइन मॉनीटरिंग पोर्टल पर सूचित किया गया है, दिनांक 15.03.2018 की स्थिति के अनुसार, राज्य में 81807 पेयजल आपूर्ति स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें से 47767 नल जल आपूर्ति स्कीमें हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना एक गतिशील एवं निरंतर प्रक्रिया है। सामान्यत: ग्रामीण जल आपूर्ति और विशेषकर पाइप के जरिए कवरेज की गति

राज्य के भूखंड/भौगोलिक स्थितियों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। इसके अलावा, विभिन्न स्कीमों अर्थात् नल जल आपूर्ति स्कीमें (बहुल ग्राम स्कीमें और एकल ग्राम स्कीमें), हैंडपंप, स्पॉट स्कीमों की पूर्णता अवधि भी एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न होती है। सामान्यतः हैंडपंप/बोरवेल जैसी पेयजल परियोजनाएं एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण होती हैं और बहु ग्राम नल जल स्कीमें 3 से 5 वर्षों की अवधि में पूरी होती है। जलापूर्ति स्कीमों की संस्थापना में विलम्ब के कुछ कारण निम्नलिकित हैं :-

1) राज्य वित्त विभाग से राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियों के संवितरण में विलम्ब।
2) निम्नलिखित विभिन्न कारणों से स्कीमों की वास्तविक प्रगति में विलम्बः
   क) मध्यस्थता और मुकदमेबाजी/जन असंतोष और विरोध सहित संविदात्मक समस्याएं।
   ख) संबंधित प्राधिकरणों से सांविधिक अनापत्ति/अनुमति का उपलब्ध न होना, स्रोत संबंधित समस्याएं।
   ग) भूमि की अनुपलब्धता/कब्जा करने की समस्याएं।
   घ) स्रोत संबंधित समस्याएं।
   ड.) बिजली/ऊर्जा कनेक्शन की अनुपलब्धता।
   च) सामग्री उपलब्ध नहीं/सामग्री का उत्पादन बन्द।
   छ) जमीन पर/जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाते समय विवाद।
   ज) खराब मौसम/प्राकृतिक आपदा के कारण परिवहन की समस्या/अगम्यता

(घ) तथापि, एनआरडीडब्ल्यूपी की समीक्षा एवं इसकी गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, प्रत्येक वर्ष फरवरी और अप्रैल में, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का काम देखने वाले राज्य सरकार के विभागों के साथ वार्षिक एक्शन प्लान (एएपी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति की समीक्षा की जाती है और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। फील्ड दौरों और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों में तैनात किया जाता है। इसके अलावा, सभी राज्यों के लिए एरिया ऑफीसरों को नामित किया जाता है और वे राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) में भाग लेते हैं ताकि परियोजना प्रस्तावों को परस्पर सहमति वाले एक्शन प्लान के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, कार्यक्रम के प्रतिस्र्धात्मक और परिणाम उन्मुख तथा परिणाम आधारित बनाने के लिए दिनांक 10.11.2017 के प्रभाव से एनआरडीडब्ल्यूपी को पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित एनआरडीडब्ल्यूपी में केवल एनआरडीडब्ल्यूपी स्कीमों की क्रियात्मकता के आधार पर कुल आबंटन का 25% राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पेयजल आपूर्ति स्कीमों की क्रियात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है जब तक चालू स्कीमें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वे नई पेयजल आपूर्ति स्कीमें शुरू न करें। कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांवों, खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांवों और आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बसावटों आदि को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है।